

नमूना लेकर वास्तु जांच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद को। नियमानुसार टै मं रखे ब्रसिन के लड्डू (ब्रसिन, शक्कर व घी से निर्मित स्वीट्स) का तहत नमूना वास्तु जांच लेने की सूचना बिकला को फॉर्म 5 ए मं दी व रसीद प्राप्त शक होने पर वास्तु जांच हेतु एफएसएरए 2006 एक्ट के तहत रजिस्ट्रित प्राधेयानों के के लड्डू (ब्रसिन, शक्कर, व घी से निर्मित स्वीट्स) हेतु रखा हुआ था। भिलावट का का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु एक टै मं रखे हुए ब्रसिन बाजार, भिलावडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता की कुकान अनमोल फूड्स म.स. 14/69, हीना ट्रेडिंग कार्पोरेशन, कमाल के कूप के पास, सदर कर रहा था। मोहम्मद जुनेद छीपा पिता अहमद नूर छीपा (विकला एवं मालिक) सूक्ष्म जनता को ब्रसिन के लड्डू (ब्रसिन, शक्कर, व घी से निर्मित स्वीट्स) इत्यादि का विक्रय कमाल के कूप के पास, सदर बाजार, भिलावडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम (विकला एवं मालिक) सूक्ष्म अनमोल फूड्स म.स. 14/69, हीना ट्रेडिंग कार्पोरेशन, इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी मोहम्मद जुनेद छीपा पिता अहमद नूर छीपा निर्देशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये शक्तियाँ का प्रयोग करते हुये जिला मं कायदत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी

दिनांक 28.03.2019

आदेश

रपस्थित-
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रोकर
2 विपक्षी उपस्थित नहीं एक तरफ का कायदाही

एवं दण्डनीय धारा 51

युक्त अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

—विपक्षी

— प्रार्थी

भनाम 1. श्री मोहम्मद जुनेद छीपा पिता अहमद नूर छीपा (विकला एवं मालिक) सूक्ष्म अनमोल फूड्स म.स. 14/69, हीना ट्रेडिंग कार्पोरेशन, कमाल के कूप के पास, सदर बाजार, भिलावडा

सरकार जयपुर सिंह तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कायदलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिलावडा

उत्तरान प्रकरण

प्रकरण संख्या 03/2018 खाद्य सुरक्षा

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भिलावडा





न्याय निर्णय अधिकांश एवं
अति 10 जिला मजिस्ट्रेट
(जाय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
श्रीलंका

- 1 खाद्य सुरक्षा आर्यवर्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)/विकिन्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ।
- 2 अभिहित अधिकांश एवं मुख्य विकिन्सा एवं स्वास्थ्य अधिकांश श्रीलंका।
- 3 कैदियर, जिला कलक्टर कायलिय श्रीलंका।
- 4 श्री मोहम्मद जुनैद छीपा पिता अहमद नूर छीपा (विकेता एवं मालिक) सैसर्स अनमोल फूड्स म.स. 14/69, हीना ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कमाल के कर्पू के पास, सदर बाजार, श्रीलंका को भेजकर लेख है कि उक्त शास्त्रि राशि बालन द्वारा जमा करा , बालन कैदियर जिला कलक्टर कायलिय श्रीलंका में प्रस्तुत करे ।

प्रतिनिधि:- निम्न का सौचनार्थ एवं आवश्यक कायदाही हेतु प्रेषित है-
न्याय निर्णय अधिकांश एवं
अति 10 जिला मजिस्ट्रेट श्रीलंका
(जाय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
श्रीलंका

न्यायालय में सौचनार्थ गया ।
निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को सेरे द्वारा लिखया जाकर खूले कायलिय श्रीलंका में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे ।

विपक्षी उपरोक्त शास्त्रि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैदियर जिला कलक्टर विपक्षी पर 30,000/-रुपये (अक्षर तीस हजार रुपये) शास्त्रि आरोपित की जाती है । करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हेतु उपरोक्त प्राधान का मध्यनजर रखते हेतु विपक्षी को अर्द्धपण्ड से आरोपित किये जाने का प्राधान किया हुआ है ।

निये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्त्रि विषय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की विपक्षी द्वारा सबरस्टेण्डर्ड बेसन के लड्डू (बेसन, शक्कर व ची से निर्मित स्वीट्स) का (बेसन, शक्कर व ची से निर्मित स्वीट्स) का विषय करने के लिये दोगी है । इस प्रकार कॉर्पोरेशन, कमाल के कर्पू के पास, सदर बाजार, श्रीलंका सबरस्टेण्डर्ड बेसन के लड्डू अहमद नूर छीपा (विकेता एवं मालिक) सैसर्स अनमोल फूड्स म.स. 14/69, हीना ट्रेडिंग उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी मोहम्मद जुनैद छीपा पिता

एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है ।

2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है । जिसका जमाना लड्डू (बेसन, शक्कर व ची से निर्मित स्वीट्स) का विषय कर एफएसएस एक्ट खाद्य नमूना सबरस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबरस्टेण्डर्ड बेसन के के अंतर्गत यह मात्रा कम से कम 26.0 होनी चाहिये थी । इसलिये लिया गया of extracted fat 23.54 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम यह मात्रा 40.0 से 43.0 ही पायी जानी चाहिये थी । इसी प्रकार Reichert Value C. पर 45.3 पायी गयी, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत